



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-20.12.2024

विषय:- दहेज प्रताड़ना तथा नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त वीरेन्द्र चौहान थाना कैण्ट पुलिस द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट के कुशल नेतृत्व में थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 505/2024 धारा 498A/323/504/506/363/366 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट व बढ़ोत्तरी धारा 376(3) भादवि व 5(n)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त वीरेन्द्र चौहान पुत्र स्व0 राम अवतार चौहान निवासी एसए 1/37-1 ठकुरापुरा खजुरी पाण्डेयपुर थाना कैण्ट वाराणसी को दिनांक-19.12.2024 को समय 18.10 बजे थाना कैण्ट परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 04/12/2024 को वादिनी मुकदमा ने प्रतिवादीगण द्वारा दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित करने, मारने पीटने, भद्दी भद्दी गालियाँ देने व जान से मारने की धमकी देने तथा पति द्वारा वादिनी की नाबालिग छोटी बहन का अपहरण कर उसका शारीरिक शोषण करने के सम्बन्ध में लिखित प्रा.पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना कैण्ट में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना म0उ0नि0 भारती गुप्ता द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

वीरेन्द्र चौहान पुत्र स्व0 राम अवतार चौहान निवासी एसए 1/37-1 ठकुरापुरा खजुरी पाण्डेयपुर थाना कैण्ट वाराणसी उम्र करीब 27 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

थाना कैण्ट परिसर, दिनांक 19.12.24, समय 18.10 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 0505/24 धारा 498A/323/504/506/363/366 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट व बढ़ोत्तरी धारा 376(3) भादवि व 5(n)/6 पाक्सो एक्ट थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

म0उ0नि0 भारती गुप्ता, उ0नि0 आकाश कुमार सिंह थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।



सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।